

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
ई-5 पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, भोपाल


कमांक

/स्था/प्रनिबो/2017

भोपाल, दिनांक

कार्यालय आदेश

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 19(3) के प्रावधान अनुसार ऐसी चल-अचल सम्पत्ति जिसका मूल्य शासकीय सेवक के दो माह के मूल वेतन से अधिक होता है के लेन-देन के पूर्व शासकीय सेवक को विधित प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, तथा नियम 19(3) अनुसार ऐसी मूल्यवान वस्तु जिसका मूल्य शासकीय सेवक के दो माह के मूल वेतन से अधिक है के लेन-देन की जानकारी देना आवश्यक है।


(सुधीर श्रीवास्तव)
प्रशासकीय अधिकारी
भोपाल, दिनांक

पृ0कमांक 223- /स्था/प्रनिबो/2017

प्रतिलिपि :-

22 FEB 2017

1. निज सचिव, अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
 2. निज सचिव, सदस्य सचिव, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
 3. समस्त शाखा प्रभारी, क्षेत्रीय अधिकारी/ प्रयोगशाला प्रभारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर सूचनार्थ । कृपया अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करायें ।
- ✓ आईटी शाखा/ गार्ड फाईल ।

WA 2017 (87)

82
272